प्रेस नोट
दिनांक 05.11.2025

थाना को0 नगर पुलिस व जिला आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 545 ग्राम नाजायज गांजा बरामद-

कार्यवाही:-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में को0 को0 नगर पुलिस व जिला आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त सज्जन पुत्र कृपाशंकर निवासी ढलौनी बाजार सोनी गुमटी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को मांदे नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 05.02.2025 को थाना को0 नगर पुलिस व जिला आबकारी की संयुक्त टीम अवैध शराब निष्कर्षण व अवैध मादक पदार्थ की बिक्री की रोकथाम हेतु भ्रमणशील थे, सूचना पर मांदे नहर पुलिया के पास से अभियुक्त सज्जन पुत्र कृपाशंकर को ढ़ाबली में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 42 पुड़िया (कुल 545 ग्राम) नाजायज गाँजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. सज्जन पुत्र कृपाशंकर निवासी ढलौनी बाजार सोनी गुमटी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-886/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 545 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. आबकारी निरीक्षक वन्दना केसरवानी (क्षेत्र प्रथम) मय टीम
02. उ0नि0 अमरनाथ थाना को0 नगर मय टीम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनाकं – 05.10.2024
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-156/2025 धारा 85, 108 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बंशी निषाद पुत्र स्व0 रामसजीवन को बनगाँव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2025 को विनोद पुत्र रामसुरे नि०ग्राम बहादुरपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पुलिस को सूचना दी गई कि उन्होने अपनी बहन की शादी दिनांक 11.05.2019 को वंशी पुत्र रामसजीवन ग्राम बनगाँव (भैसासुर) थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के साथ की थी । शादी के कुछ समय बाद से ही पति वंशी व ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा । वादी का आरोप है कि उसकी बहन ने ससुरालीजन की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली है । उक्त सूचना पर थाना तरबगंज पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया है आज दिनांक 05.10.2024 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त बंशी निषाद पुत्र स्व0 रामसजीवन को बनगाँव नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बंशी निषाद पुत्र स्व0 रामसजीवन निवासी बनगाँव भैसासुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 156/2025 धारा 85, 108 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. निरीक्षक राजकुमार यादव
02. उ0नि0 प्रवीन कुमार यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.11.2025

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले जालसाज अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 88/2025 धारा 406/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित जालसाज अभियुक्त अविनाश चन्द्र उपाध्याय पुत्र डिप्टी उपाध्याय नि0 मन्नीजोत दाखिला गोकुला बुजुर्ग थाना सादुल्लानगर, बलरामपुर को बनगवा बैरियर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.04.2025 को वादी राजकुमार जायसवाल पुत्र राम फेर ग्राम संतू सिंह डीह पोस्ट फूक नगर ग्रिंट थाना खोडारे जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी अविनाश चन्द्र उपाध्याय द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर रु0 8,85,701/- की ठगी की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 05.11.2025 को थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अभियुक्त- अविनाश चन्द्र उपाध्याय पुत्र डिप्टी उपाध्याय को बनगवा बैरियर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. अविनाश चन्द्र उपाध्याय पुत्र डिप्टी उपाध्याय नि0 मन्नीजोत दाखिला गोकुला बुजुर्ग थाना सादुल्लानगर, बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 88/25, धारा 406/467/468/471 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. व0उ0नि0 रघुबीर गौतम
02. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र शुक्ला
03. का० मिथिलेश कुमार साह

मीडिया सेल, गोण्डा